बिहार विधान परिषद

(202वां शीतकालीन सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

15 दिसंबर 2022

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

Total Short Notice Question- 11

हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच

*11 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि मो. इमरान उर्फ प्यारे, पिता- मो. सफी अहमद, सकिन- मुबारकचक, थाना- मुफस्सिल, जिला- मुंगेर को अपराधियों ने दिनांकः- 28.07.2022 को सदर ब्लॉक, चकासीयमोड़, मुंगेर के पास हत्या कर दी, जिसकी प्राथमिकी केस नं.- 271/22 मुफस्सिल थाना मुंगेर में दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि मो. इमरान उर्फ प्यारे की हत्या मो. टीपू, पिता- कमरूदीन, मो. अमीन इकबाल एवं मो. अरसद, पिता- मो. हलीम, शाहिस्ता खातून, पति मो. अमीम इकबाल उर्फ बब्लू, मो. नन्हू, पिता- मो. कमरुदीन, मो. अरसद एवं मो. पिंकू द्वारा कर दी गई ;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'ख' में वर्णित अपराधियों पर धारा 302/120वी/34

भा.द.वि.एवं 25 (1-बी)ए/ 26 (i) (ii) / 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुफस्सिल थाना- मुंगेर में दर्ज है;

(घ) क्या यह सही है कि खंड 'ख' में वर्णित अपराधियों में मात्र एक अपराधी मो. टिपू की गिरफ्तारी हुई है और शेष अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार है और मो. इमरान के परिवार को बराबर जान से मारने की धमकी देते हैं;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए खंड 'ख' में वर्णित फरार अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*12 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत शिवहर प्रखंड के फातमाचक गांव के डुमरी मदरसा के निकट के कब्रिस्तान की घेरांबदी पूरी तरह से जर्जर है, जिसके कारण जानवरों का प्रवेश कब्रिस्तान में होता रहता है;

(ख) यदि उपर्युकत खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी की मरम्मती, पेन्टिग एवं गेट का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चेक डैम का जीर्णोद्धार

*13 **श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद प्रखंड के परसडीह पंचायत में टेकारी नाला पर चेक डैम अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त चेक डैम का जीर्णोद्धार एवं गार्डवाल की मरम्मती करवाना अति आवश्यक है;

(ग) क्या यह सही है कि गार्डवाल की दोनों तरफ कटाव तेजी से हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त चेक डैम के जीर्णोद्धार, गार्डवाल की मरम्मती करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रदूषण जांच केंद्र खोलने हेतु

*14 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **परिवहन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में अभी भी प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खुल सके हैं, जबकि विभाग की ओर से तीन लाख रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदकों के लिए कई प्रकार जटिल शर्तें रखी गयी हैं, जिन्हें पूरा कर पाना अधिकतर के लिए संभव नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रदूषण जांच केंद्र खोलने हेतु शर्तों में कुछ छूट देने का विचार रखती है ?

सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराना

*15 **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दैनिक पेपर 'हिन्दुस्तान' में दिनांक:- 13.11.2022 को प्रकाशित शीर्षक ''न्यू मार्केट, पटना की सड़क पर सिटी बसों की पार्किंग से परेशानी'' पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है (प्रेस कतरण संलग्न);

(ख) क्या यह सही है कि न्यू मार्केट, पटना के मेन रोड पर सिटी बसों को पार्किंग की तरह खड़ी कर सड़क को अतिक्रमित कर ली जाती है, जिसके कारण छोटी गाडि़यों एवं यात्रियों को चलने में काफी परेशानी होती है;

(ग) क्या यह सही है कि न्यू मार्केट, पटना के ऊपरी पुल के नीचे जो पार्किंग है, उसे प्रशासन की मिलीभगत से फल मंडी, ठेला एवं हॉकर को दुकान लगाने के लिए सहमति दे दी गई है;

(घ) क्या यह सही है कि स्टेशन के न्यू मार्केट, पटना के रोड को अतिक्रमित करने

से वहां के दुकानदार एवं पटना जंक्शन से गाड़ी पकड़ने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिटी बस एवं पुल के नीचे स्थायी निराकरण कर फल मंडी, हॉकर से हमेशा के लिए अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पेंशन स्वीकृत कबतक

*16 **श्री सच्च्दानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गृह विभाग के संकल्प संख्या-524, दिनांकः- 15.07.2015 की कंडिका (ख) में प्रावधान किया गया है कि जिन जे.पी.सेनानियों के कारा में जाने एवं मुक्त होने की तिथि का सत्यापन करा कर अभिलेखों के अनुपलब्ध होने के कारण संभव नहीं है, उसके लिए सत्यापन एवं सत्यापन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सेनानियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राथमिकी की प्रति/न्यायालय का प्रमाण पत्र/जिला पदाधिकारी का प्रमाण पत्र (तीनों या कोई एक प्रमाण पत्र) के आधार पर जिले के दो जे.पी. सेनानियों (जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है एवं जो छः माह से अधिक मीसा डी.आई.आर. के अंतर्गत जेल में हो रहे हो) द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से काराधीन रहने का प्रमाण दिये जाने एवं सलाहकार पार्षद की अनुशंसा पर जे.पी. सम्मान पेंशन दिया जाएगा;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त संकल्प के प्रावधान के आलोक में न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का सत्यापन गृह विभाग द्वारा कराए जाने के बावजूद उन सेनानियों की पेंशन की स्वीकृति वर्ष 2017 से गृह विभाग में लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित संकल्प के आलोक में जे.पी. सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शीघ्र आबंटन कबतक

*17 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत आरा में डॉ. अंबेडकर चांदी अति पिछड़ा छात्रावास की स्थिति अत्यंत जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि आरा शहर के कतीरा मुहल्ला में पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए एक नया छात्रावास बन कर तैयार है, जिसे छात्रों को आवंटित नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर जिला अंतर्गत आरा में डॉ. अंबेडकर चांदी अति पिछड़ा छात्रावास की मरम्मती तथा आरा शहर के कतीरा मुहल्ला में नवनिर्मित छात्रावास को पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शीघ्र आवंटित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क सुरक्षा समिति का गठन

*18 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **परिवहन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार और उसकी निगरानी में देश में सड़क सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा समिति का गठन हर जिले में किये जाने का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट और अनुशंसा के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है और राज्य सरकार ने दुर्घटना के कारणों की पड़ताल, ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर उसके निदान की कार्रवाई आदि का काम तेजी से आरंभ किया है;

(ग) क्या यह सही है कि पिछले दिनों माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में इसकी समीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि 4684 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में इस साल हुई है तथा दुर्घटना के शिकार ज्यादातर गरीब एवं असहाय लोग होते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि फोर लेन की इंट्री-एग्जिट और अवैध कट हादसों के बहुत बड़े कारण हैं;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में क्या-क्या निष्कर्ष उभरकर सामने आये तथा फोर लेन सहित अन्य मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं तथा असामयिक मौतों की रोकथाम के लिए सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

एस.टी.एफ. का गठन

*19 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि तेघड़ा थाना कांड संख्या 253/2022 बनहारा सरपंच के पुत्र की हत्या के मुख्य अभियुक्त का तीन महीने बीतने के बावजूद न तो गिरफ्तारी हुई है और न कुर्की-जब्ती की कार्रवाई हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि नामजद मुख्य अभियुक्त, सरपंच के पूरे परिवार को रोज-रोज जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार दहशत में है और घर से निकलना मुश्किल हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य सरकार हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए राज्य स्तर से एस.टी.एफ. का गठन कर कबतक करना चाहती है ?

आंगनबाड़ी केंद्र की जांच

*20 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, समाज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि पं. चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड बगहा-1 एवं बगहा-2 एवं पिपरासी, भितहा में आंगनबाड़ी सेविका से सी.डी.पी.ओ. के द्वारा उगाही की जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बगहा-1, बगहा-2, भितहा एवं पिपरासी के कोई पांच-पांच केंद्र का जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अवैध पार्किंग से जाम

*21 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर के भगवनापुर चौक से बीवीगंज होते हुए एन.एच.-28 से एन.एच.-57 में जाने वाले चौराहे पर ट्रक की अवैध पार्किंग के कारण इस सड़क पर आवागमन बाधित होता है;

(ख) क्या यह सही है कि ट्रक की अवैध पार्किंग दिन-रात लगी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त एन.एच. सड़क पर मुजफ्फरपुर के भगवनापुर चौक से सीतामढ़ी मोड़ तक खड़ी अवैध रूप से पार्क की गई ट्रकों को हटाने के लिए क्या उपाय करना चाहती है ?